



Neutral Citation No. -2026:AHC:53980

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन

संख्या - 2519 / 2026

सुभाष

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

: अनुज श्रीवास्तव, गौरव कक्कड़,

मानस त्रिपाठी, राघवेंद्र प्रकाश

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया, तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया गया।
3. यह अग्रिम जमानत याचिका अपीलार्थी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 452/2025, धारा 85, 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस थाना- बड़ौत, जिला बागपत में दाखिल की गई है, जिसमें अपीलार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी मृतका का ससुर है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि अपीलार्थी के पुत्र और मृतका के बीच विवाह घटना से 12 वर्ष पूर्व हुआ था और मृतका के साथ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-आरोपी मृतका का पति को इस न्यायालय द्वारा जमानत याचिका संख्या 34106/2025 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह लगभग 61 वर्ष की आयु का एक वृद्ध व्यक्ति है। वह फरार नहीं होगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है और बताया है कि इस अदालत ने आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 17409/2025 में 26.08.2025 के आदेश के ज़रिए, पुलिस आख्या दाखिल होने तक आरोपियों को अंतरिम सुरक्षा दी थी, इस आदेश में अदालत ने अपीलार्थी और सह-आरोपी पंकज के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया था। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(दांडिक) संख्या 15427/2025 में चुनौती दी गई थी, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और अन्य आरोपियों के पक्ष में 26.08.2025 को दिए गए आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी। एक सह-आरोपी संतोष ने इस अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे इस अदालत ने मंजूर कर लिया था; सर्वोच्च न्यायालय ने, अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश को चुनौती और सह-आरोपी संतोष की अग्रिम जमानत के आदेश—दोनों पर फ़ैसला सुनाते हुए इन आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप, उनकी गंभीरता और प्रकृति ऐसी थी कि याचिका में दिया गया आदेश रद्द किया जाना उचित था।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी को अंतरिम सुरक्षा देने वाले आदेश के रद्द होने और सह-आरोपी की अग्रिम जमानत के आदेश के भी निरस्त होने के मद्देनज़र, अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनी हैं।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या 15427/2025 और 16728/2025 में, अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश और सह-आरोपी संतोष को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती पर विचार करते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद, यहाँ तक कि सूचक भी, जिसने हाई न्यायालय में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत अर्जी दी थी, न्यायालय को 26.09.2025 के अंतरिम आदेश के पारित होने के बारे में सूचित करने में विफल रहा था। हमारा सुविचारित मत है कि, सभी संबंधित परिस्थितियों, वर्तमान आरोपी की भूमिका, और आरोपों की गंभीरता तथा प्रकृति को देखते हुए, आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 17409/2025 जिसका शीर्षक "संतोष और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य" है, में दिनांक 26.08.2025 का विवादित आदेश, और साथ ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2025 को पारित अंतरिम आदेश, रद्द और निरस्त किए जाने योग्य हैं। तदनुसार आदेश दिया जाता है।"

9. अपीलार्थी मृतक का ससुर है। अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप, सह-आरोपी संतोष के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति के ही समान हैं। मृतक की मृत्यु फांसी लगाने के कारण दम घुटने से हुई है। आवेदन के साथ दिए गए हलफनामे में आत्महत्या का जो कारण बताया गया है, वह एक मेडिकल स्थिति है; कहा गया है कि मृतक की सेहत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि उसे हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम, स्तन में फाइब्रोएडेनोमा और एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या थी। मृतक द्वारा अपनी जान लेने का जो कारण बताया गया है, वह अदालत को तर्कसंगत नहीं लगता। इसके अलावा भी, भारतीय न्याय संहिता में अपीलार्थी का नाम विशेष रूप से लिया गया है और अपीलार्थी पर मृतक के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। अपीलार्थी पर लगाया गया अपराध काफी गंभीर है, और अपराध की गंभीरता तथा अपीलार्थी की भूमिका को देखते हुए, अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

10. इसलिए, अग्रिम जमानत का आवेदन **खारिज** किया जाता है। इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं और इन्हें आवेदन के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाएगा। यदि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलार्थी अदालत में पेश होता है और नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उस पर इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

17 मार्च, 2026

ए. पांडे

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"